

प्रेस नोट

थाना अतरौलियागौवंश लदा ट्रक UP 50 F 4212 बरामद जिसमें 11 गौवंश जीवित 3 मृत दशा में पाये गये

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा गौवंश की तस्कारी करने वाले अपराधियोंकी गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुरश्री महेन्द्र कुमार शुक्ला व प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज पाण्डेय अतरौलिया आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 14/06/21 को उ०नि० रामकिशोर शर्मा मय हमराह का० सत्येन्द्र गुप्ता व का० सुबेदार खान मय सरकारी वाहन UP62 AG0230 के मय चालक प्राइवेट थाने से रवाना हो कर रात्रि गस्त करता हुआ तिराहे पर मौजूद थे। मुखबिर खास से सूचना मिली कि एक ट्रक अम्बेडकर नगर से कुछ लोग गौवंश को एक ट्रक में लाद कर उसे कटने के लिए आजमगढ़ ले जाने वाले हैं। यदि लोहरा टोल प्लाजा पर घेरा बन्दी की जाये तो उन्हें पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके मुखबिर की सूचना से हमराही क्रमचारी गण को अवगत करा कर मय हमराहीयान मय मुखबिर के लोहरा टोल प्लाजा पर आया कुछ देर पश्चात अम्बेडकर नगर की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया तभी मुखबिर खास ने इशारा करके बताया कि साहब वही ट्रक है जिसमें गौवंश लदे है और वहां से चला गया। ट्रक जब लोहरा टोल प्लाजा पर आया तभी पुलिस वाले तत्परता दिखाते हुए टार्च की रोशनी से रोकने का इशारा किये तो अचानक ट्रक का चालक व इसी तरफ से एक अन्य व्यक्ति ट्रक से कूद कर खेतों की तरफ भागने लगे जिनका काफी दूर तक पीछा किया गया। परन्तु अंधेरे का फायदा उठाते हुए वे दोनों व्यक्ति भागने में सफल हो गए वापस ट्रक के पास आकर दूसरे ट्रक के ड्राइवर से ट्रक को टोल प्लाजा से बाहर निकलवाकर बाहर साइड में निकलवाकर जब ट्रक को चेक किया गया तो ट्रक के पीछे लगे नम्बर प्लेट पर UP50 F4212 लिखा है। जब ट्रक के ऊपर चढ़ कर देखा गया तो डाले के अन्दर 14 अदद गौवंश जिनके मुंह व दोनों पैररस्सी से बंधे हुए हैं तथा सभी के मुंह से झाग निकल रहा था। जिन्हे हमराही क्रमचारी के सहयोग से उनकी रस्सीयों को खोल कर देखा गया तो 11 गौवंश अदद जीवित तथा 3 गौवंश मृत अवस्था में हैं। गौवंशों के शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। पशु चिकित्साधिकारी अतरौलिया को जरीये मोबाइल फोन बरामद गौवंश को मेडिकल परीक्षण व पोस्टमार्टम करने हेतु सूचित किया गया मौके पर आ गए। जिनके द्वारा जीवित 11 अदद गौवंश का मेडिकल परीक्षण व 3 अदद मृत गौवंश का पोस्टमार्टम की कार्यवाही कर रिपोर्ट प्राप्त कि गयी तथा तथा NH1 पर मौजूद जेसीबी के सहयोग से हाइवे के बगल में गढ़वा खोदवा कर 3 अदद मृत गौवंश का दफन किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की तलाश की जा रहा है तथा बरामद ट्रक जब्त कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०स० 98/21 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम 1955 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 व धारा429 IPCबनाम 1. ट्रक चालक UP 50 F 4212. एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात

बरामदगी —एक अदद ट्रक UP 50 F 4212 व 11 गौवंश जीवित, 3 मृत दशा में

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. SI राम किशोर शर्मा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. का० सुबेदार खान थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

3.का0 सत्येन्द्र गुप्ता थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

थाना- कप्तानगंज

गैंगेस्टर की लगभग ₹30 लाख की संपत्ति हुई कुर्क।

धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर आजमगढ़ के दिशा निर्देशन व कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही का चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 14.06.2021 को जिलाधिकारी जनपद आजमगढ़ के आदेश संख्या-1568(2)/न्याय- सहायक दिनांक 24.05.2021 के अनुपाल में अभियुक्त अरूण कुमार यादव पुत्र राजाराम यादव ग्राम एकडंगी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ सम्बन्धित मु0अ0सं0 148/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधि0 1986 थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ का 10 वाहन अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है , आदेश के अनुपालन में आज नियुक्त प्रशासक श्री शक्ति प्रसाद सिंह तहसीलदार बूढ़नपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा (1)-ट्रक नं0 UP50BT 0376, (2)-ट्रक नं0 UP50BT 2877, (3)-स्कार्पियो गाड़ी नं0 UP50AR8687 व (4)-मोटर साइकिल नं0 UP50BC 6212 TVS SPORT (लगभग 30 लाख रुपए की संपत्ति) को कुर्क करके थाना कप्तानगंज पर दाखिल पर किया गया ।